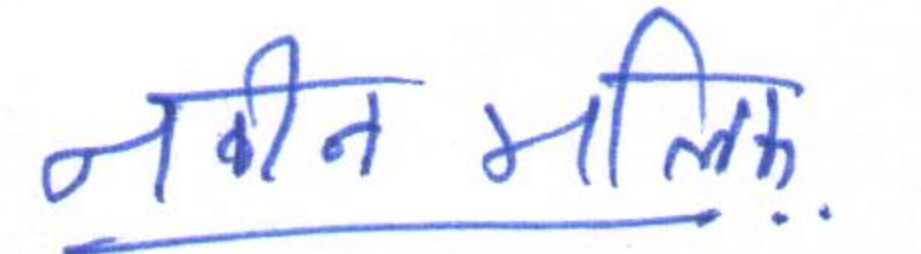


फा.सं. NCTE-Regl015(14)/141/2023-Regulation Section(WB) – ERC

01 जून, 2023

सार्वजनिक सूचना

ईआरसी द्वारा यह देखा गया है कि कुछ अनधिकृत व्यक्ति रा.अ.शि.प. द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (टीईआई) को फर्जी 'कारण बताओ नोटिस (एससीएन)/अंतिम कारण बताओ नोटिस (अंतिम एससीएन)' भेज रहे हैं जो रा.अ.शि.प. द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। इस कार्रवाई को पूर्वी क्षेत्रीय समिति ने 23 मई, 2023 को आयोजित अपनी 326वीं बैठक में गंभीरता से देखा और समिति ने निर्णय लिया कि सभी टीईआई को सलाह दी जा सकती है कि वे ईआरसी के नाम से जारी किसी भी कारण बताओ नोटिस/अंतिम कारण बताओ नोटिस का जवाब देने से पहले अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.ncte.gov.in पर ईआरसी के कार्यवृत्त का संदर्भ लें।



क्षेत्रीय निदेशक
ईआरसी, एनसीटीई